संख्या- 1176 /पांच-7-2016-1194/2013

प्रेषक,

**अवधेश कुमार पाण्डेय,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

**चिकित्सा अनुभाग-7** **लखनऊ : दिनांक** 28 **जुलाई 2016**

**विषय:** **राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत नान मेडिकल सुपर-वाइजर एवं नान मेडिकल असिस्टेन्ट व कुष्ठ संवर्ग के फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन तथा हेल्थ ऐजुकेटर को कुष्ठ भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11फ/1-88/2015/कुष्ठ/722, दिनांक 20.01.2015 व पत्र संख्या-11/फ/1-88/2014/कुष्ठ/5077, दिनांक 21.07.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कुष्ठ संवर्ग के पदों पर कुष्ठ भत्ता अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-31/2016/वे0आ0-2-510/दस-08(मु0स0स0)/2011 टी0सी0, दिनांक 07 जून, 2016 में लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल महोदय कुष्ठ संवर्ग के पदों पर निम्नानुसार कुष्ठ भत्ता अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) नॉन मेडिकल असिस्टेन्ट(एन0एम0ए0) के पदों पर रू0-50/- प्रतिमाह की दर से अनुमन्य कुष्ठ भत्ते के स्थान पर रू0-100/-प्रतिमाह की दर से तथा नॉन मेडिकल सुपरवाइजर (एन0एम0एस0) के पद पर रू0-60/- प्रतिमाह की दर से अनुमन्य कुष्ठ भत्ते के स्थान पर रू0-120/-प्रतिमाह की दर से कुष्ठ भत्ता अनुमन्य कराया जाय।

(2) फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन तथा हेल्थ ऐजुकेटर के पद, जिन पर वर्तमान में कुष्ठ भत्ता अनुमन्य नहीं है, उन भी क्रमश: रू0-100/- प्रतिमाह तथा रू0-120/-प्रतिमाह की दर से कुष्ठ भत्ता अनुमन्य कराया जाय।

(3) उक्तानुसार कुष्ठ भत्ते की संशोधित/संस्तुत दरें तत्काल प्रभाव अर्थात विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू की जायें।

**02-** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-600/दस-2016, दिनांक 21 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

**( अवधेश कुमार पाण्डेय )**
विशेष सचिव।

**संख्या-** 1176 **/पांच-7-2016 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम/अपर निदेशक, कुष्ठ/राज्य कुष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/ वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 एवं 2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/ समस्त अनुभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5- प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**( राजेश कुमार अग्रवाल )**
अनु सचिव।

Leprosy

om